बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं09/कोर्ट–10–11–2011/ 1307(9) स्वास्थ्य, पटना, दिनांक 08/12/2016 स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0 1116(18) दिनांक 17.11.2000द्वारा, डा0 अमरेन्द्र कुमार अमन, जिला मलेरिया पदाधिकारी, गया सम्प्रति क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी दरभंगा को निलंबित करते हुए संकल्प सं0 1308(3) दिनांक 24.10.2002 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उनपर आरोप था कि दिनांक 15.11.1999 को ये अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे एवं पिछले 4 माह से मुख्यालय में आयोजित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की बैठक में भाग नहीं लिया एवं स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया। संचालन पदाधिकारी द्वारा डा0 अमन के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। परन्तु विभाग द्वारा डा0 अमन को दोषी मानते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 410(9) दिनांक 04.07.2003 द्वारा लिखित चेतावनी की सजा दी गयी। विभागीय अधिसूचना सं0 678(9) दिनांक 27.05.2004 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डा0 अमन को निलंबन अवधि में जीवन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा।

2. विभाग के उक्त निर्णयों के विरूद्ध डा0 अमन द्वारा पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 9283/2004 दायर की गयी। इसमें दिनांक 02.12.2010 को आदेश पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0 410(9) दिनांक 04.07.2003 एवं अधिसूचना सं0678(9) दिनांक 27.05.2004 को पर निरस्त किया गया । साथ हीं माननीय न्यायालय द्वारा विभाग को यह भी निदेश दिया गया यदि वे उचित समझें तो इस मामलें में पुनः नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित कर सकते है।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक 02.12.2010 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 410(9) दिनांक 04.07.2003 एवं विभागीय अधिसूचना सं0 678(9) दिनांक 27.05.2004 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0 144(9) दिनांक 20.01.2012 एवं 300(9) दिनांक 11.04.2014 द्वारा उनके विरूद्ध नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधीगम में आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। विभागीय पत्रांक 922(9) दिनांक 13.11. 2015 एवं 118 (9) दिनांक 29.01.2013 द्वार अमन से द्वितीय कारण की पृच्छा की गयी। अपने प्रत्युत्तर दिनांक 23.02.2016 में डा0 अमन ने अपने बचाव में मात्र इतना कहा कि संचालन पदाधिकारी के समक्ष उनके द्वारा दिये गये बचाव बयान की समीक्षा ठीक से नही की गई है और उन्हे सुनवाई का प्रयाप्त अवसर नही दिया गया है।

आरोप, अधिगम एवं आरोपित पदाधिकारी के प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गई तथा यह पाया गया की डा0 अमन को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया एवं उनके विरूद्ध अनुबंध में उल्लिखित आरोप प्रमाणित है। अतएव डा0 अमरेन्द्र कुमार अमन तत्कालीन जिला मलेरिया पदाधिकारी गया सम्प्रति क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी दरभंगा को निम्नलिखित दंड दिया जाता है–

(क) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्वि पर रोक।

(ख) निलंबन अवधि में (जीवन निर्वाह भत्ता को छोडकर) अन्य कोई शेष राशि देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक 1307(9) /स्वा0, पटना, दिनांक 08/12/2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमंडल गया/दरभंगा प्रमंडल दरभंगा / सिविल सर्जन गया/दरभंगा/ डा0 अमरेन्द्र कुमार अमन तत्कालीन जिला मलेरिया पदाधिकारी गया सम्प्रति क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी दरभंगा / संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी –2,3,7,9,10,17 एवं 18(A) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Notification 2016.docx